संख्या-55/2023/1356रासनि(11)/23-1-22/001-59आरएसएन/2022टीसी-3

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 07 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 18 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3612सी/27सी/नवीनीकरण/मूल/22-23, दिनांक 15.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 18 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 25,64,05,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ चौसठ लाख पांच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 6,41,01,000/- (रूपये छः करोड़ इकतालीस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	6 अकीय यूनिक कोड	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रस्तावित सतह	प्रस्तावित किमी संख्या	लम्बाई किमी में		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की लागत				कुल लागत (10+11+12+ 13)	अवमुक्त धनराशि
							लीनियर लम्बाई	समतुल्य लम्बाई	मरम्मत की लागत	नवीनीकरण की लागत	रोड मार्किंग की लागत	जीएसटी 18 प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	660341	PD Chandauli	परसियॉ अरंगी धनायत मुण्डा मार्ग।	ODR	PC	6,9,13,14,15,16,17,18	8.000	6.857	5.14	58.97	0.00	11.54	75.65	18.91
2	660342	PD Chandauli	बलुआ महुवर हरधनजुड़ा टाण्डा मार्ग।	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10.000	10.714	8.04	92.14	0.00	18.03	118.21	29.55
3	660355	PD Chandauli	प्रभुपुर रसूलपुर ककरहटी रामगढ़ सड़ान बड़गावा मार्ग	ODR	PC	6,7,8,9,10,11	6.000	5.143	3.86	44.23	0.00	8.66	56.75	14.18
4	665788	Cd Chandauli	मोहनसराय दीन दयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग।	SH	BC	46(640),47,48,49,50,51,52,53,54,55(850)	9.490	18.980	14.24	288.31	11.77	56.58	370.90	92.72
5	660100	Cd Chandauli	जीवनाथपुर कंचनपुर सिकन्दरपुर चकिया नौगढ़ मझगाई मद्धुपुर मार्ग	SH	BC	35,56,82	3.000	6.000	4.50	91.14	3.72	17.88	117.24	29.31
6	660105	Cd	अहरौरा-चकिया-	ODR	BC	7,8,9,10	12.00	24.00	18.00	305.76	14.88	60.96	399.60	99.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	6 अकीय यूनिक कोड	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रस्तावित सतह	प्रस्तावित किमी संख्या	लम्बाई किमी में		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की लागत				कुल लागत (10+11+12+ 13)	अवमुक्त धनराशि
							लीनियर लम्बाई	समतुल्य लम्बाई	मरम्मत की लागत	नवीनीकरण की लागत	रोड मार्किंग की लागत	जीएसटी 18 प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Chandauli	इलिया मार्ग।			,11,12,13,14,15,16,17,18	0	0						
7	660113	Cd Chandauli	चन्दौली (एन0एच0-2) से धरौली मार्ग।	ODR	BC	14,15(600)	1.600	3.200	2.40	40.77	1.98	8.13	53.28	13.32
8	660110	Cd Chandauli	मझगाई तिवारीपुर सम्पर्क मार्ग।	ODR	BC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10.000	20.000	15.00	254.80	12.40	50.80	333.00	83.25
9	660817	Cd Chandauli	सहजनी-'भीखमपुर हेतिमपुर मार्ग।	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9(400)	8.400	7.200	5.40	61.56	0.00	12.05	79.01	19.75
10	660808	Cd Chandauli	चकिया इलिया मार्ग के किमी0-28 गॉधीनगर से छित्तमपुर रामगढ़ बार्डर तक मार्ग।(वाया लतीफशाह, खास, छित्तमपुर, ढ़ोढनपुर)	ODR	PC	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	12.000	11.357	8.52	97.10	0.00	19.01	124.63	31.16
11	660819	Cd Chandauli	बबुरी-नसरथा-पचवनियॉ मार्ग।	ODR	PC	6,7,8,10,11,12,13,14,15	9.000	9.000	6.75	76.95	0.00	15.07	98.77	24.69
12	660685	Cd Chandauli	ब्लाक-चकिया में भगड़ा-पिपरखड़िया से गिधवा होते हुए गनेशपुर सम्पर्क मार्ग	VR	PC	1,2,3,4,5	5.000	4.290	3.22	40.07	0.00	7.79	51.08	12.77
13	650290	PD Ghazipur	शादियाबाद जखनियां मार्ग	ODR	PC	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(200)	8.200	8.200	6.15	76.75	0.00	14.92	97.82	24.46
14	650007	PD Ghazipur	भिलीहिली रायपुर गदाईपुर सम्पर्क मार्ग	VR	PC	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(500)	6.500	5.570	4.18	52.14	0.00	10.14	66.46	16.62
15	650288	Cd-3 Ghazipur	कुण्डेसर कबीरपुर अवथहीं लठ्ठूडीह मार्ग	ODR	PC	1,2,12,13,17,18	6.000	6.000	4.50	60.72	0.00	11.74	76.96	19.24
16	650440	CD-1 Ghazipur	दिलदारनगर देवैथा करमहरी मार्ग	ODR	BC	1,2,3,4,5,6,7,8,9(250)	8.250	16.500	12.38	193.38	10.23	38.88	254.87	63.72
17	650060	CD-1 Ghazipur	दिलदारनगर देवल मार्ग	ODR	BC	9,12	2.000	4.000	3.00	46.88	2.48	9.42	61.78	15.45
18	650071	CD-1 Ghazipur	मेंदनीपुर युवराजपुर रामपुर रेवतीपुर मार्ग	ODR	PC	1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16	13.000	11.140	8.36	100.15	0.00	19.53	128.04	32.01
												कुल योग-	2564.05	641.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृति/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(8) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(9) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत न हों व नवीनीकरण के निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 6,41,01,000/- (रूपये छः करोड़ इकतालीस लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-55/2023/1356रासनि(11(1))/23-1-22/001-59आरएसएन/2022-3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।